संख्या : 20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक : 27 दिसम्बर, 2017

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनाँक 26 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2017-2018 का अनुपूरक) अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 05 सन् 2017) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनाँक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनाँक 20 नवम्बर, 2017 के क्रम में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें -

(क) वित्तीय वर्ष 2017-2018 की शेष अवधि में योजनाओं / परियोजनाओं पर दिनाँक 31 मार्च, 2018 तक व्यय / वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी.एल.ए. / डिपाजिट खातों में जमा न किया जाये ।

(ख) परियोजनाओं पर व्यय हेतु कार्यदायी संस्थाओं को उतनी ही धनराशि स्वीकृत की जाये, जितनी दिनाँक 31 मार्च, 2018 तक परियोजनाओं पर व्यय होने की सम्भावना हो । कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-2(12)(घ) एवं 2(12)(च) के अनुसार अवमुक्त धनराशि, प्रस्तर-10 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दो-दो माह की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर, कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये । निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि सम्बन्धी स्वीकृति आदेश में प्रस्तर-10 में आहरण हेतु उल्लिखित व्यवस्था का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाये ।

(ग) केन्द्र पोषित योजनाओं के लिये बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग से कराने के उपरान्त प्राप्त केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जाये ।

(घ) केन्द्र पोषित योजना में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जाये ।

(ड.) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2016/बी-2-1274/दस-2016-एम-46/2016 दिनाँक 29 अगस्त, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में उल्लिखित शासनादेश दिनाँक 03 अगस्त, 2017 एवं 20 नवम्बर, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।**
3. **प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
4. **प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5. **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।**
6. **सचिवालय के समस्त अनुभाग ।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
11 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव, वित्त ।

ht p://sh san desh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।